राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–121/2013

डॉ. लक्ष्मण लाल मेडतवाल

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सिरोही राजस्थान।
3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सीएचसी, माउंटआबू (आबू पर्वत), जिला सिरोही।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 25.04.2024
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अनुराग कुलश्रेष्ठ, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी स्वैच्छापूर्वक दिनांक 01.10.2001 से 29.05.2005 तक अनुपस्थित रहे थे। अपीलार्थी को पूर्व में वर्ष 2001 से 2010 तक की वेतन वृद्धि स्वीकृत किया गया था और बकाया राशि का भी भुगतान किया गया था। बाद में अपीलार्थी को किया गया भुगतान अनियमित होना मानते हुए अपीलार्थी से आदेश दिनांक 19.12.2012 के द्वारा राशि 411494/–रूपये वसूली किये जाने के आदेश पारित किये गये। अपीलार्थी ने उक्त आदेश को इस अपील में चुनौती दी है। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 28.03.2011 के द्वारा वेतन वृद्धियां स्वीकृत की गयी, जिसमें अपीलार्थी को उसके अनुपस्थित काल की वेतन वृद्धियां भी प्रदान की गयी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के विरूद्ध अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में उसे सीसीए नियम–16 के तहत चार्जशीट दी गयी। जिस चार्जशीट का अंतिम रूप से निस्तारण आदेश दिनांक 06.04.2013 के द्वारा किया गया। जिसमें अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित बताये गये और अपीलार्थी की तीन वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया और साथ ही अपीलार्थी की अनुपस्थित रहने की अवधि को अकार्य दिवस होना मानते हुए नियमित किया गया और उक्त अवधि केवल मात्र उनकी निरन्तरता के लिये मान्य होना अंकित किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी ने एक अन्य अपील इस अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 361/2013 के रूप में प्रस्तुत की है, जिसमें अपीलार्थी ने पदोन्नति दिये जाने की प्रार्थना की थी। उक्त अपील अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक

27.02.2024 के द्वारा निस्तारित की गयी, जिसमें निम्न प्रकार से आदेश पारित किये गये :–

> ''पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि अपीलार्थी दिनांक 01.10.2001 से दिनांक 29.05.2005 तक स्वैच्छा से अनुपस्थित था। इस कारण उनके विरूद्ध 16 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय जांच कार्यर्यायही लंबित थी। यह आरोप–पत्र दिनांक 11.11.2008 को जारी किया गया। विभागीय जांच प्रकरण में अपीलार्थी के स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने की अवधि को अकार्य अवधि (Dies-non) मानते हुए नियमित किया गया है और साथ ही तीन वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी जाकर दण्डित किया गया है। अतः अपीलार्थी का दिनांक 11.07.2011 से डी.ए.सी.पी स्कीम के तहत पदोन्नति का चाहा गया अनुतोष मान्य नहीं है। विभागीय आदेश में पारित दण्डादेश के दृष्टिगत उसकी पदोन्नति प्रभावी होगी। अपीलार्थी वो विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि विभागीय जांच में जारी आदेश दिनांक 06.04.2013 के अनुसरण में डी.ए.सी.पी स्कीम के तहत देय पदोन्नर्ति प्रदान की जावे। अतः इसके दृष्टिगत प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जाच में पारित दण्डादेश दिनांक 06.04.2013 के दृष्टिगत अपीलार्थी को डी.ए.सी.पी स्कीम के तहत पदोन्नति हेतु पात्र होने की तिथि से पदोन्नति एवं अन्य सेवा परिलाभ प्रदान किये जायें। उक्त निर्देशों के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।''

2. वर्तमान अपील प्रस्तुत होने के पश्चात दो नये तथ्य प्रकट हुए है। प्रथम तथ्य यह है कि अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही में अपीलार्थी को दण्डित किया जा चुका है, जिसमें अपीलार्थी की तीन वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है एवं अनुपस्थित अवधि अकार्य अवधि (Dies-non) मानी गयी और दूसरा तथ्य यह आया है कि अपीलार्थी की अपील 361/2013 इस अधिकरण द्वारा दिनांक 27.02.2024 को निर्णित की गई है। इन दोनों पश्चातवर्ती तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इस अपील में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी की वेतन वृद्धियों के सम्बन्ध में उपरोक्त दोनों तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए नये सीरे से अपीलार्थी का वेतन निर्धारित किया जाए एवं अपीलार्थी का नये सीरे से वेतन निर्धारित किये जाने के पश्चात अपीलार्थी से वसूली योग्य राशि बनती है तो उसके सम्बन्ध में पृथक से आदेश पारित कर वसूली योग्य राशि का आदेश पारित किया जाए। उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)